

#848

ग्रामीण सेवा शिविर-2025



नायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - करजाना

धारा अन्तर्गत - 136

प्रसं 539/25 तय्यर दिनांक 03.10.25 निर्णय दिनांक 03.10.25

क्र.स.	नाम-ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	करजाना	360	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं राजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टि</p> <p>बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्रविष्टि</p> <p>हस्ताक्षर पदवी</p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>तहसीलदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>करजाना</u> प.ह. <u>करजाना</u> खालास <u>360</u> में वर्तमान प्रविष्टि बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-
1. पदवारी पदवार मण्डल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
करजाना

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड कलक्टर कपासन)
कपासन जिला-चित्तौड़गढ़

तहसीलदार (भू.अ.) कपासन